कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 73/ 2024 (GCMS 2024/ 285)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मनफूल सिंह जाखड़, इंदिरा चौक, नई लाईन गंगाशहर, बीकानेर

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ

11.12.2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है और अपीलार्थी के आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों में प्रार्थी द्वारा एक बिन्दु की सूचना उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से चाही गई है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से सम्बन्धित है। उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ वर्तमान में नवगठित जिला अनूपगढ़ के क्षेत्राधिकारी में आता है। **अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचनाओं हेतु उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील यहां से खारिज की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलार्थी को सूचित किया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:34:04 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मंजू)